भूमिका

एक ओर हम ज्ञान-विज्ञान के विमान पर सवार होकर दूसरी धरती की दूरी नाप रहे हैं वहीं संसार के आकाश-पाताल के गूढ़ रहस्यों को पता करने का दावा करने लगे हैं। साथ ही ब्रह्माण्ड के अनेक अबूझ सत्यों से परदा भी उठा रहे हैं। वहीं ठीक हमारी अपनी गोद में पल्लवित-पुष्पित होने वाले बच्चे उपेक्षित हैं। यह बच्चे सिर्फ उपेक्षित ही नहीं बल्कि संभवत: किसी षड़यंत्र के तरह ऐसे अंधेरे में धकेल दिए गए हैं कि सही मायने में इनका कोमल अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। गुमनामी के अंधेरे में जीने वाले ये उपेक्षित बच्चे अपने मां-बाप का दिया हुआ नाम तक गवां चुके हैं। अब ये सिर्फ छोटू-मोटू, रामू या ऐ लड़के, बे लड़के के शब्दों के सम्बोधन हो कर रह गए हैं। बचपन बचाओ आंदोलन का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निमार्ण करना है जहां हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले और किसी भी तरह के शोषण से मुक्त रखा जा सके।

इसके लिए संस्था कई तरह के पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, एक्टिविटीज और राइड्स रन करती है, जिनसे बाल श्रम से जुड़ी समस्याओं से लोगों को अवेयर कराया जा सके। साथ ही संस्था चाइल्ड फ्रेंडली विलेज नामक प्रोग्राम भी रन करती है। इस प्रोग्राम के तहत उन गांवों को बाल मित्र ग्राम की संज्ञा दी जाती है जहां पर बाल श्रम पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है। इसके साथ ही सभी बच्चों का स्थानीय स्कूल का इनरोलमेंट हो एवं बाल पंचायत से सीधा संपर्क हो। संस्था के इस मॉडल को बाल श्रम और चाइल्ड ट्रेफिकिंग को दूर करने में काफी मददगार माना गया है। बच्चों की रक्षा करने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन की टीम भारतीय कानूनों के अनुसार अपने कैंपेन डिजाइन करती है। बालश्रम से छुड़ाए गए बच्चों के सुधार गृह के लिए संस्था राज्य सरकार की योजनाओं के साथ काम करती है। अगर आंकड़ों पर ध्यान दिया जाये तो दुनिया में बाल श्रमिकों की संख्या 24 करोड़ से भी अधिक है। इनमें से एक तिहाई से भी अधिक बच्चे खदानों, खतरनाक मशीनों, खेतों, घरेलू कार्यों और दूसरे प्रतिबंधित कार्यों में लगे हुए हैं। यूनीसेफ की एक रपट के अनुसार, विश्व में शोषण एवं भेदभाव के शिकार करोड़ों बच्चे दुनिया से गायब हो चुके हैं। इस तरह बुनियादी सुविधाओं से वंचित बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। बच्चों की खराब स्थिति के मद्देनजर विश्व में भारत छठे स्थान पर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, यहां लगभग बारह करोड़ बाल मजदूर हैं और ये सभी 14 वर्ष से कम उम्र के हैं। हालांकि संसद में सरकार के कथन के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के सवा करोड़ से कुछ

अधिक बच्चे स्कूल जाने की बजाय पेट की भूख मिटाने के लिए कठोर श्रम करने को विवश हैं। देश के विभिन्न राज्यों में स्थितियां अलग-अलग हैं परन्तु शोषित, उत्पीड़ित, घर से भागे हुए, यौन उत्पीड़न के शिकार और निषिद्ध क्षेत्रों में मजदूरी कर रहे बच्चे तो हर राज्य में हैं और इनकी संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी इसलिए हो रही है क्योंकि समाज में कानून का कोई डर नहीं है।

बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में बच्चों से काम करवाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बड़े कारखानों की बात तो दूर, चाय की दुकानों, ढाबों, होटलों आदि में कराए जाने वाले काम भी इन व्यवसायों में शामिल हैं। इस सूची में घरेलू नौकर के काम को 10 अक्तूबर, 2006 से लाया गया है। जो क्षेत्र इस अधिनियम में नहीं आते, उनके लिए भी 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से काम के कुछ मानक तय किए गए हैं। जैसे तीन घंटे काम के बाद एक घंटा आराम और शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच काम न लिया जाना इत्यादि शामिल है। जो लोग बाल मजदूर रखते हैं उनके लिए सब कानून, नियम और मानवता ठोकर पर होती है। बाल मजदूरों से काम लेने वाले ज्यादातर नियोक्ताओं के यहां ऐसा माहौल रहता है जो किसी भी लिहाज से बच्चों के लायक नहीं होता।

वहीं देश में नशे के कारोबार और हथियारों की तस्करी के बाद मानव तस्करी यानी ह्यूमैन ट्रैफिकिंग देश में तीसरी और सबसे गंभीर समस्या है। आज दुनिया भर में 215 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है। इन मासूमों का समय स्कूल में नहीं बल्कि होटलों, घरों, उद्योगों में बर्तनों, झाड़ू-पोछे और औजारों के बीच बीतता है। भारत में हालत यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर यहीं है। वर्ष 1991 की जनगणना के हिसाब से बाल मजदूरों का आंकड़ा 11.3 मिलियन था। 2001 में यह आंकड़ा बढ़कर 12.7 मिलियन पहुंच गया। बच्चों के लिये काम करने वाले संगठनों की माने तो दुनिया भर में 80 प्रतिशत से ज्यादा मानव तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती है, और बाकी बंधुआ मजदूरी के लिए। भारत को एशिया में मानव तस्करी का गढ़ माना जाता है। आंकड़ों के अनुसार देश में हर आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। 2011 में करीब 35,000 बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें से 11,000 से ज्यादा पश्चिम बंगाल से थे।

अध्याय 1- विषय प्रवेश

1.1 शोध समस्या का परिचय

बाल मजदूरी की कड़वी सच्चाई का यह एक कलुषित सच है। दो जून की रोटी और लंगोटी की तलाश में ये नन्हें नाजुक हाथ सुबह से रात तक 14-15 घंटे काम करते हैं। पेट की आग बुझाने के लिए अपनी जिंदगी को जलाते हैं। 5-10 साल की उम्र में 400-500 रुपए प्रति माह की कमाई के बदले में ये बच्चे कई तरह के चर्म रोग, क्षय रोग और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं। बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए मध्य प्रदेश के विदिशा में 11 जनवरी 1954 को पैदा हुए कैलाश सत्यार्थी वर्ष 1980 से बचपन बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन के तहत अबतक करीब 88 हजार बच्चों को बचाया जा चूका है। 15 प्रदेश के 200 जिलों में यह आंदोलन सक्रिय है। 70 हजार स्वयंसेवी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस आंदोलन से जुड़े कैलाश सत्यार्थी के दो सहयोगियों को जान भी गंवानी पड़ी।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूल, पुनर्वास केन्द्र, औपचारिक-अनौपचारिक शिक्षा, मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य-सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। बाल श्रम रोकने के लिए कई कानून भी बनाये गए हैं। बाल मजदूर (प्रतिबंधित एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को दस से बीस हज़ार रुपये के अर्थदंड सहित एक वर्ष की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। यह तयशुदा बात है कि कोई कानून तभी कारगर हो सकता है जब उसका पालन सुनिश्चित किया जाए। हमारे आस-पास ही बाल-श्रम के अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं परंतु किसी नियोक्ता की कभी कोई शिकायत नहीं करता, न ही उसे दंडित किया जाता है तो बाल श्रम कैसे रुकेगा? देखा गया है कि निर्धन माता-पिता भी स्वयं बच्चों को मजदूरी के लिए भेजते हैं। वे उनकी शिक्षा में रुचि नहीं लेते क्योंकि पेट पालने में बच्चे उनके सहायक होते हैं। ऐसे में बच्चे कभी कभी बंधुआ मजदूर बनकर रह जाते हैं। ऐसे परिवारों के आर्थिक स्वावलंबन का उपाय भी सरकार को करना होगा।

1.2 साहित्य पुनरावलोकन :

बचपन बचाव आंदोलन में मीडिया की भूमिका को समझने से पहले बाल श्रम को समझने का प्रयास किया गया है। साथ ही बचपन बचाव आंदोलन में मीडिया की भूमिका शोध विषय को समझने के लिए संबंधित लेख, पत्र-पत्रिकाओं तथा ब्लॉगों आदि का अध्ययन किया गया है। बाल श्रम से जुड़ीं कुछ बेबसाइटों का भी अवलोकन किया गया है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित पुस्तकों का अध्ययन किया गया है जो इस प्रकार है-

1. शर्मा, डॉ. सुभाष. (2006). भारत में बाल मजदूर. नई दिल्ली: प्रकाशन संस्थान.

इस पुस्तक में शोध विषय से सम्बंधित बताया गया है कि भारत में जितने बाल मजदूर हैं उतने पूरे विश्व के किसी भी देश में नहीं है। भारत में कुल बाल मजदूर यहां की आबादी के मात्र 5.2 प्रतिशत हैं, जबकि तुर्की में यह प्रतिशत 27.3, थाईलैंड में 20.9, बांग्लादेश में 19.5, ब्राजील में 18.8, पाकिस्तान में 16.6, इंडोनेशिया में 12.4, मास्को में 11.5, मिश्र में 8.2 आदि है। एक मात्र पड़ोसी देश श्रीलंका में यह प्रतिशत भारत से कम है अर्थात वहां मात्र 4.9 प्रतिशत बाल मजदूर हैं।

हमारा यह भी मानना है कि खतरनाक व्यवसायों एवं उत्पादन प्रक्रियाओं में लगे बाल-मजदूरों को प्रथम चरण में समुचित सर्वेक्षण कर वहां से हटाना चाहिए और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाये तथा उनके परिवारों को सरकारी या गैर-सरकारी रोजगार मुहैया कराया जाना चाहिए। दूसरे चरण में अन्य कार्यों/प्रक्रियाओं में लगे बच्चों को निकालकर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और उनके परिवारों को सरकारी/गैर सरकारी रोजगार दिया जाना चाहिए। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के भूतपूर्व निदेशक श्री उदयबालकृष्णन ने कहा था कि बाल श्रमिकों के लिए विशेष विद्यालय चलाने के लिए जितने गैर-सरकारी संगठनों को पिछले कई वर्षों से धनराशि आवंटित की गई है, उनके आलोक में उनकी प्रगति अत्यंत ही असंतोषजनक है और भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी वजह से कुछ संस्थानों पर करवाई भी की गई है।

2. देवी, महाश्वेता. घोष, निर्मल. (2008). भारत में बंधुआ मजदूर. नई दिल्ली: राधाकृष्णन प्रकाशन.

इस पुस्तक में यह बताया गया है कि आज भी बाल श्रम और बंधुआ मजदूर का मामला एकदम जीवंत और सशक्त है। देश में जिन गंभीर समस्याओं पर मुख्यधारा का मीडिया खामोश रहता है और सरकार उदासीन, उनमें बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरों की समस्या भी एक है। इस पुस्तक में बताया गया है कि प्रतिबंध लगाने के बाद भी लगभग सभी राज्यों के गांवों से लेकर कस्बों व छोटे-बड़े शहरों तक यह प्रथा बिना किसी रोक-टोक से जारी है।

3. तिवारी, डॉ. अर्जुन. (2010). आधुनिक पत्रकारिता. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन.

आज की पत्रकारिता मालिकों की गुलाम है। मालिकों के राजद्वेष से ग्रस्त है। पाठकीय हितों पर मालिक की धन पिसता और विज्ञापनवृति हावी है। नारी देहदृष्टि का विज्ञापन और आधुनिक मार्केटिंग की प्रवृतियों ने पाठकों की रूचि भी ख़राब की है। समाचार-पत्र सूचना और शिक्षा के लक्ष्य से हटकर मुख्यता मनोरंजन की वस्तु बनते जा रहे हैं।

4. दास, भगवन. (2006). बाल विकास. दरियागंज, नई दिल्ली: ओमेगा पब्लिकेशन.

बचपन को जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता हैं। ऐसा विचार लगभग सभी मनोविज्ञान वैज्ञानिकों का हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक अनुकूलन के लिए जीवन के पहले कुछ वर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम जीवन चक्र को देखे तो पता चलता हैं कि सम्पूर्ण जीवन का आधार शैशवावस्था में ही तैयार हो जाता हैं। प्रारम्भिक जीवन में ही व्यक्ति की प्रवित्तियों तथा स्वभाव की नीव पड़ जाती हैं। बालक के भावी जीवन को बनाने के लिए उसके बचपन पर ध्यान देना अति आवश्यक हैं। व्यक्ति को उसके बचपन में ही बहुत सारी बातें सिखायी जा सकती हैं और उसमें विविध बदलाव लाये जा सकते हैं। लेकिन बड़े होने पर उनमें बदलाव लाना बहुत ही कठीन हो जाता हैं। इसलिए सभी मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा विशेषज्ञ बालक की शिक्षा पर अधिक जोर देते हैं।

1.3 शोध की प्रासंगिकता

मीडिया का लक्ष्य है कि वह जनभावनाओं को समझें और उसे मुखरित करें तथा उसे बेख़ौफ़ होकर जनविकृतियों का पर्दाफाश करे। ऐसा नहीं है कि हिंदी समाचार-पत्रों ने इन आदर्शों का पालन नहीं किया। उन्होंने अपने दायित्वों का समय-समय पर निर्वहन करके अपनी प्रतिबद्धता हमेशा दोहराये हैं चुकि मीडिया व्यवसाय अन्य व्यवसाय से अलग है। मीडिया एक ऐसा व्यवसाय है जिससे जनता की सरोकार सीधे तौर पर जुड़ा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आम जनमानस मीडिया की नजर से ही सबकुछ देखता है। प्रस्तावित शोध अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि विदिशा जिले में बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता किस प्रकार काम कर रहे हैं तथा वह इस आंदोलन को लेकर कितना जागरूक हैं। इस बात का भी पता लगाने का प्रयास किया जायेगा कि इस आंदोलन को लेकर यहां के मीडियाकर्मियों का क्या मत है? साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया जायेगा कि इस आंदोलन के तहत जिले में अब-तक कितने बच्चों को बचाया गया है।

1.4 उपकल्पना

भारत में बाल श्रम निरंतर बढ़ता जा रहा है। यूं कहें की तमाम कोशिश करने के बावजूद भी सरकार बाल श्रम रोकने में नाकाम साबित हो रही है। आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है। इस जटिल समस्या पर बचपन बचाओ आंदोलन किस प्रकार से कम कर रहा है। इसकी हकीकत जानने के लिये विदिशा जिले का चुनाव इसलिए किया गया है कि यह कैलाश सत्यार्थी का गृह जनपद है। प्रस्तुत अध्ययन की उपकल्पना निम्नलिखित है-

5. बाल श्रम को मीडिया गंभीरता से नहीं ले रही है।
6. बाल श्रम कानून के प्रचार-प्रसार में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है।
7. भारत में बाल श्रम जैसी समस्या को लेकर सरकार जागरूक नहीं है।
8. अनाथालयों में बच्चों की देखरेख का पूरा ध्यान रखा जाता है।
9. बाल श्रम रोकने में बचपन बचाओ आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है।

1.5 शोध के उद्देश्य

कामगार परिवारों की "जितने हाथ उतने काम" वाली मानसिकता ने भी बाल श्रम को बढ़ावा दिया है। यह मानसिकता बेहद घातक है और विकास की गति को पीछे ले जाती है। श्रमिक परिवार की इस मानसिकता ने भी बाल श्रम को बढ़ावा दिया है। बाल श्रमिक समाज के एक उपेक्षित अंग है, क्योंकि इन्हें स्कूलों में पढ़ने के स्थान पर रोजी-रोटी के लिए विवश होना पड़ता है। बचपन बचाने को लेकर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जन्मे कैलाश सत्यार्थी विगत 35 सालों से बचपन बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस शोध में यह पता लगाया गया है कि यह किस प्रकार काम कर रहा है। इस शोध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. बाल श्रम रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाये गये कानून का अध्ययन करना।
2. योजनाएं, जो बाल श्रम को रोकने के लिए बनायी गयी हैं, उनके क्रियान्वयन का अध्ययन।
3. विदिशा जिले में बाल श्रम रोकने में बचपन बचाओ आंदोलन की भूमिका का आकलन करना।
4. बचपन बचाओ आंदोलन के प्रति मीडिया की जागरूकता का अध्ययन करना।
5. बाल श्रम गृह में रह रहे बच्चों की स्थिति और उसकी मनोदशा का अध्ययन करना।

1.6 शोध प्रविधि/उपकरण

शोध विषय- बचपन बचाओ आंदोलन में मीडिया की भूमिका के अध्ययन को मूर्त रूप देने के लिए निम्न प्रविधियों का उपयोग किया गया है जिनकी चर्चा निचे की गई है। साथ ही उपकरण के रूप में शोध हेतु चयनित बच्चों से अनुसूची के माध्यम जानकारी प्राप्त की गई है।

अंर्तवस्तु विश्लेषण प्रविधि

मीडिया में शोध विषय 'बचपन बचाओ आंदोलन में मीडिया की भूमिका' से संबंधित ख़बरों के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों का चयन किया गया। जिसमें 'नव दुनिया' और दैनिक भास्कर, सितम्बर माह के 30 दिन के प्रिंट संस्करण को शामिल किया गया है।

अवलोकन प्रविधि

शोध विषय 'बचपन बचाओ आंदोलन में मीडिया की भूमिका' के लिए बच्चों की स्थिति के अध्ययन के लिए सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किया गया है। इसके लिए 'खुला आश्रय गृह' का अवलोकन दिनाक 11 अक्टूबर 2015 से 15 अक्टूबर 2015 तक किया गया है।

वैयक्तिक अध्ययन

वैयक्तिक अध्ययन में बचपन बचाओ आंदोलन के संचालक श्री कैलाश सत्यार्थी के पूरे जीवन का अध्ययन किया गया है। साथ ही उनके गृह जिले में स्थित खुला आश्रय गृह को भी अध्ययन केंद्र में रखा गया है।

साक्षात्कार प्रविधि

साक्षात्कार प्राविधि का चयन शोध विषय 'बचपन बचाओ आंदोलन में मीडिया की भूमिका' में बाल अधिकार से संबंधित जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों का साक्षात्कार लिया गया है। जिसमें पुलिस अधीक्षक, सीएमओ, एनजीओ संचालकों, और शोध क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले न्यूज़ पेपर के संपादकों का साक्षात्कार शामिल किया गया है।

अनुसूची

शोध विषय 'बचपन बचाओ आंदोलन में मीडिया की भूमिका' में बच्चों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए अनुसूची का उपयोग किया गया है। बच्चों का चयन विदिशा जिला के खुला आश्रय गृह में रह रहे बच्चों का चयन उद्धेश्यपूर्ण निदर्शन के माध्यम से किया गया है।

1.7 शोध की सीमाएं व कार्य-क्षेत्र

हर शोध की अपनी-अपनी कुछ सीमाएं होती है। किसी भी शोध को बिना समय-सीमा और क्षेत्र में बांधे उसकी प्रासंगिकता तथा मौलिकता को ढूंढ पाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। चुकि समय कम है और बचपन बचाओ आंदोलन काफी बड़ा विषय है, इसलिए मुख्यरूप से यह शोध मध्य प्रदेश के विदिशा जिले पर केन्द्रित है। इस शोध के अंतर्गत नई दुनिया और दैनिक

भास्कर के जुलाई और अगस्त 2015 के अंको का अध्ययन किया जायेगा। बचपन बचाओ आंदोलन में मीडिया की भूमिका का पता लगाना एक कठिन कार्य था। इस शोध में यह आंकलन किया गया है कि बाल श्रम के प्रति मीडिया गंभीर क्यों नहीं है? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ जिलों की तो वहां के अखबारों से बाल श्रम की ख़बरें नदारद रहती हैं। पूरे देश में गांव, कस्बों से लेकर छोटे–बड़े शहरों तक बच्चे धड़ल्ले से काम करते नजर आते हैं जिनकी ओर मीडिया का ध्यान नहीं जाता है। रेलवे स्टेशन से लेकर चाय की दुकान तक बच्चे कम करते नजर आते हैं। जिसपर सरकार के साथ-साथ मीडिया भी गंभीर नहीं है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समय की कमी के साथ-साथ, बच्चों के मनोविज्ञान को समझने में, शोध से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साक्षात्कार एवं कैलाश सत्यार्थी से मिलेने के बार-बार असफल प्रयास भी शोध की समस्या को दर्शाता है।

1.8 शोध का महत्व

किसी भी लोकतान्त्रिक समाज में मीडिया की महत्ता से इंकार नहीं किया जा सकता है। बाल श्रम रोकने के लिए सरकार अनेक नियम-कानून बना रही है तथा बच्चों के लिए कई योजनाएं भी लागू की है। इसके बावजूद बाल श्रम पर रोक लगने के बजाय दिन ब दिन इसकी संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस शोध में यह देखा गया कि सरकारी योजनाओं और कठोर नियम-कानून बनाने के बाद भी बाल श्रम पर रोक क्यों नही लग पा रहा है। साथ ही यह भी देखने का प्रयास किया जायेगा कि बच्चे अधिक संख्या में कहां काम करते हैं और उसे उजागर करने में मीडिया की भूमिका क्या है।